

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-6/प्राक्क01-1169/2024 1685
सेवा में,

पटना-15, दिनांक :- 13.8.24

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:- राज्य योजना अन्तर्गत बांका जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट में अमरपुर प्रखण्ड स्थिति पवई ग्राम पंचायत के दौना गाँव के 4 (चार) वार्डों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से "हर घर नल का जल" निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति योजना के लिए कुल राशि ₹146.80 लाख (एक करोड़ छियालिस लाख अस्सी हजार) की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-राज्य योजना अन्तर्गत बांका जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट में अमरपुर प्रखण्ड स्थिति पवई ग्राम पंचायत के दौना गाँव के 4 (चार) वार्डों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से "हर घर नल का जल" निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति योजना का निर्माण "हर घर नल का जल" से अच्छादित करने हेतु योजना के लिए ₹146.80 लाख (एक करोड़ छियालिस लाख अस्सी हजार) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना अन्तर्गत बांका जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट में अमरपुर प्रखण्ड स्थिति पवई ग्राम पंचायत के दौना गाँव के 4 (चार) वार्डों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से "हर घर नल का जल" निश्चय योजना के तहत योजना से अच्छादित बाडों में गृह जल संयोजन का कार्य कर संतृप्त किया जाना है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि एवं वार्ड निम्नवत् है:-

क्र० सं०	प्रमंडल	प्रखण्ड	पंचायत	ग्राम	वार्ड सं०	तकनीकी अनुमोदन की राशि (लाख ₹० में)		कुल राशि (लाख ₹० में)
						DB Cost	O&M Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाराहाट	अमरपुर	पवई	दौना	1	25.98	6.25	32.23
2	बाराहाट	अमरपुर	पवई	दौना	2	29.66	6.31	35.97
3	बाराहाट	अमरपुर	पवई	दौना	3	27.22	6.13	33.35
4	बाराहाट	अमरपुर	पवई	दौना	4	38.4	6.51	44.93
कुल						121.20	25.20	146.80

3. इस योजना के मुख्य अवयव नलकूप निर्माण, पाईप लाईन का निर्माण, आठ मीटर ऊंचा स्टेजिंग का निर्माण, समरसेबुल पम्प एवं क्लोरिनेटर का अधिष्ठापन कर उक्त योजना सभी घरों में गृह संयोजन का कार्य किया जाना है तथा योजना का निर्माण का पूर्ण होने के उपरान्त 5 वर्षों तक संचालन एवं रख-रखाव किया जाना है।

4. इस योजना के निर्माण मद पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष -4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष - 01- जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति - मांग संख्या - 36 उपशीर्ष - 0133- मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-4215011020133- विषय शीर्ष - 0133.53.01- मुख्य निर्माण कार्य (II) मुख्य शीर्ष -4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष - 01- जल पूर्ति लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- मांग संख्या- 36 - उपशीर्ष - 0115-मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-4215017890115- विषय शीर्ष -0115.53.01 (III) मुख्य शीर्ष -4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष - 01- जल पूर्ति - लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- मांग संख्या -36 - उपशीर्ष - 0120-मुख्य

जावेद

मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-4215017960120- विषय शीर्ष -0120.53.01 मुख्य निर्माण अंतर्गत भारितव्य होगा तथा (IV) योजना के संचालन एवं रख-रखाव पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष -2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष - 01- जलपूर्ति - लघु शीर्ष -102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम - मांग संख्या -36 - उपशीर्ष - 0107- ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव सात निश्चय-2, विपत्र कोड - 36-2215011020107- विषय शीर्ष -0107.27.02 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

5. इस योजना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट होंगे।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करावेंगे।
7. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में दो बार अधीक्षण अभियंता एवं एक बार मुख्य अभियंता अनुश्रवण करेंगे और अपना निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करावेंगे।
8. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
9. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव होंगे।
10. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या - एम4-53/2007/3758/वि0 दिनांक: 31-05-17 के आलोक में सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदत्त है।
11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. इस योजना की स्वीकृति पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
14. वर्ष 2024-25 के वार्षिक योजना उद्ध्य एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।
15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

जावेद
13-8-24

(मो0 सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 6/प्राक्क01-1169/2024 1685 पटना-15, दिनांक :- 13.8.24
प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/जिला पदाधिकारी, बांका/कोषागार पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी, बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/बजट पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, लो0 स्वा0 रूपांकण एवं परियोजना प्रमंडल संख्या-2/3/ अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/उप निदेशक (मू0)/कार्यपालक अभियंता (मो0-2)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

जावेद
13-8-24

(मो0 सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव